हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादिनी अभिभाषक उपस्थित। प्रतिवादिगण बाबत अवमानना आदेश 0/7 नियम 15 CPC दिनांक 11/6/17 को पेश हो।	
	खण्ड अधिकारी [illegible]	
	वादिनी अभिभाषक उपस्थित। वाद ज्ञापन धारा 0/6 CPC का प्रस्तुतीकरण। उभय पक्षकारगण उक्त प्रकरण को मु.नं. 110/05 निर्णय दिनांक 20/4/2015 न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के निर्णय अनुसार उक्त वाद को मु.नं. 110/05 [illegible] के निर्णय के [illegible] समाकलित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। [illegible] की कार्यवाही समाप्त माने [illegible] स्थगित की जाती है। मु.नं. 110/05 की प्रतिवादिनी न्यायालय में प्रार्थना पत्र मु.नं. मु.नं. 110/05 में समाकलित की जावे। प्रतिवादिनी आदिष्ट प्रकरण है।	
	खण्ड अधिकारी [illegible]	